कार्यालय जिला पंचायत, जिला सुकमा (छ.ग.)

Email – ceo.zp.sukma@gmail.com, Office.Phone No. 07864-284028, Fax No. 07864-284027

क्रमांक/ 65 /जि.पं./स्थापना/2017

सुकमा, दिनांक 06/04/2017

प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद,
जनसंपर्क संचालनालय के पास,
छोटापारा रायपुर (छ0ग0) 492001

विषयः– पुनः निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत् ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सुकमा जिले में हमर छत्तीसगढ़ एवं अन्य शासकीय योजनांतर्गत जनप्रतिनिधियों/प्रतिभागियों को रायपुर या अन्य स्थानों के यात्रा–भ्रमण आदि कराने हेतु जिला पंचायत एवं जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों/विभागों आदि में आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर उनकी मांग अनुसार बस वाहन उपलब्ध कराने हेतु पुनः निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना है। अतः संलग्न निविदा विज्ञप्ति का राज्यस्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर देयक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

देयक का भुगतान जिला पंचायत सुकमा द्वारा किया जायेगा ।

संलग्न :– **निविदा सूचना की प्रति।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा

पृ0 क्रमांक/ 65A /जि.पं./स्थापना/2017

सुकमा, दिनांक 06/04/2017

प्रतिलिपिः–

1. **आयुक्त सह संचालक**, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. **आयुक्त बस्तर संभाग**, संभागीय आयुक्त कार्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. **अपर विकास आयुक्त सह नोडल अधिकारी**, हमर छत्तीसगढ़ योजना, आवासीय परिसर, उपरवारा नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. **कलेक्टर**, जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. **समस्त विभाग प्रमुख**..जिला सुकमा को सूचनार्थ।
6. **उपसंचालक**, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला सुकमा को सूचनार्थ।
7. **लेखा अधिकारी**, जिला पंचायत सुकमा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. **जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी**, की ओर जिलास्तरीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु।
9. जिला पंचायत सुकमा के **सूचना पटल** पर चस्पा करने हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा

:: यात्री–बस वाहन किराये पर लेने हेतु पुनः निविदा आमंत्रण ::

क्रमांक/ 66 /जि.पं./स्थापना/2017 सुकमा, दिनांक 06/04/2017

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि सुकमा जिले में हमर छत्तीसगढ़ एवं अन्य शासकीय योजनांतर्गत जनप्रतिनिधियों/प्रतिभागियों को रायपुर या अन्य स्थानों के यात्रा–भ्रमण आदि कराने हेतु जिला पंचायत एवं जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों/विभागों आदि में आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर उनकी मांग अनुसार सामान्य/लकजरी/स्लीपर यात्री–बस वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा पत्र कमांक 8639/जि.प./स्थापना/2017 दिनांक 10.03.2017 द्वारा आमंत्रित की गई थी जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर एतद् द्वारा इच्छुक बस संचालकों से दिनांक 25.04.2017 अपरान्ह 01 बजे तक निर्धारित शर्तों के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी हेतु सुकमा जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट sukma.gov.in का अवलोकन करें।

क्र	बस वाहन का प्रकार	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.	सामान्य/ लकजरी/ स्लीपर यात्री बस	24.04.2017 शाम 05 बजे तक	25.04.2017 अपरान्ह 01 बजे तक	25.04.2017 अपरान्ह 03 बजे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

यात्री–बस वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा संबंधी सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र जिला पंचायत सुकमा के स्थापना शाखा से 500/ रूपये नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.04.2017 होगी, तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 दोपहर 1.00 बजे तक होगी, निविदा दिनांक 25.04.2017 को अपरान्ह 03 बजे खोली जायेगी।

2. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें से एक लिफाफे में इस कार्यालय से खरीदी गई मूल निविदा प्रपत्र, पूर्णतः भरे हुये तकनीकी विवरण के साथ संबंधित समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज होंगे। दूसरे लिफाफे में निविदा के मूल्यकथन दर का प्रपत्र होगा। लिफाफे के उपर निविदा/मूल्यकथन प्रपत्र स्पष्ट अंकित होना चाहिये। प्रथम लिफाफे में आवश्यक तकनीकी विवरण सहित वैध दस्तावेज होने पर ही दूसरा लिफाफा खोला जायेगा।

3. सीट संख्या (32, 35, 40, तथा 50 सीटर आदि) के आधार पर अलग अलग प्रकार (सामान्य/लक्जरी/नानएसी/एसी) की बसों के लिये अलग–अलग फर्म का भी चयन किया जा सकता है। बसों के प्रकार एवं सीटों की आवश्यकता अनुसार चयनित निविदा दर के आधार पर जिले के संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुख द्वारा कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निविदा के आधार पर चयनित संबंधित बस संचालक को उनके द्वारा अंकित बस संख्या एवं प्रकार के अनुसार संबंधित कार्यालय/विभाग की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा। पर्याप्त बस वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी भी फर्म के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त बस न होने की स्थिति में दो या अधिक फर्मों को संगत न्युनतम दर के आधार पर वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा।

4. प्रतिभागियों को निर्धारित स्थान से लाना, सुकमा से गंतव्य तक ले जाना, निर्धारित स्थलों का भ्रमण पश्चात् सुकमा वापस उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना एक ट्रिप माना जायेगा। किराये का मापन निर्धारित प्रारंभिक स्थान से निर्धारित अंतिम स्थान तक की होगी।

5. भ्रमण दल निर्धारित तिथि मे शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्थलों का भ्रमण करेगी। उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार रात्रि में बस निर्धारित स्थान में हेल्टिंग करेगी। भ्रमण समाप्त पश्चात् सुकमा के लिए प्रस्थान करेगी ।

6. निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जाने पर कार्यालय/विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. उक्त भ्रमण कार्यक्रम हेतु भ्रमण के दौरान बस व्यवस्था का भार बस मालिक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। डीजल आदि अन्य व्ययों हेतु पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा, अतः निविदा प्रपत्र पर संकलित दर अंकित करें। यात्रा पूर्ण होने पर देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।

8. वाहन का आर सी बुक, बीमा, फिटनेस तथा वाहन चालकों के लाइसेंस आदि प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। निविदा के साथ प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

9. समस्त प्रतिभागियों को भ्रमण कराकर सकुशल लाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी भी समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय में श्री टिकेश्वर प्रसाद देशमुख, नोडल अधिकारी हमर छ.ग. 9407909980 से संपर्क कर सकते हैं ।

10. निविदा के साथ राशि 25000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा जो अनुसूचित बैंक के एफ डी आर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो की सुकमा में देय हो की जा सकती है असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि दो दिवस के भीतर तथा सफल बोलीदाता की अमानत राशि निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जायेगी ।

11. वाहन का चयन करते समय बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर, तथा बस की कंडीशन का भी ध्यान रखा जायेगा, अतः उक्त भ्रमण हेतु प्रयोग की जाने वाली वाहन जिला पंचायत में लाकर दिखानी होगी।

12. यात्रा/भ्रमण हेतु किसी प्रकार का अग्रिम प्रदान नहीं किया जायेगा। यह निविदा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये एक वर्ष के लिये मान्य होगी। तथा सेवाओं के आधार पर अगले वर्ष के लिये विचार किया जा सकेगा। शासन के द्वारा जारी नियम/निर्देश यथावत लागू होंगे।

13. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा